न्यायालय अति0 जिला कलक्टर कोटपूतली जिला कोटपूतली–बहरोड़

अपील संख्याः–13/2016 पीठासीन अधिकारीः–ओम प्रकास सहारण (RAS)

1–बिमला देवी पुत्री फूफीया उर्फ फूलीया
2–महादी देवी पुत्री फूफीया उर्फ फूलीया
समस्त जातियान स्वामी, निवासी भूरी भड़ाज, तहसील कोटपूतली, जिला–जयपुर, राजस्थान
–अपीलाण्टस

बनाम

1–जगदीश
2–बाबूलाल
3–गिरधारी
4–पूरण पुत्रांन प्रभू
समस्त जातियान स्वामी, निवासी भूरी भड़ाज, तहसील कोटपूतली, जिला–जयपुर, राजस्थान
5 फूफीया उर्फ फूलीया पुत्र गोपालदास, जाति स्वामी, निवासी भूरी भड़ाज, तहसील कोटपूतली, जिला–जयपुर, राजस्थान
–रेस्पोडेण्टस

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 1820 दिनांक 10–2–16 द्वारा नायब तहसीलदार पावटा, जिला जयपुर, राजस्थान

उपस्थितः–
अपीलाण्टस वकील–श्री सुरेन्द्र चौधरी
रेस्पोडेन्टस वकील–श्री सुधीर कुमार शर्मा

निर्णय

दिनांकः–7/1/26

अपीलान्ट, नामान्तरण संख्या 1820 ग्राम भूरी–भडाज तस्दीक द्वारा तहसीलदार महोदय पावटा के निर्णय दिनांक 10.02.2016 से व्यथित होकर उक्त अपील जरिये वकील पेश की है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य इस प्रकार से है किः–

1. यह कि हाल आराजी खसरा नम्बर 1436/0.31, 1438/0.83, 1442/0.96, 1446/0.85, 1448/1.10, 1449/1.18 हैक्टेयर वाके ग्राम भूरी भड़ाज, तहसील कोटपूतली, जिला–जयपुर, राजस्थान में स्थित है जो पैत्रिक सम्पत्ति है ।
2. यह कि उक्त आराजी खसरा नम्बरान पैत्रिक सम्पत्ति जिसके 1/2 हिस्से पर फूफीया उर्फ फूलीया बतौर खातेदार दर्ज है ।

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली–बहरोड़)

3. यह कि उक्त रेस्पोडेण्ट फूफीया उर्फ फूलीया मानसिक रूप से कई वर्षों से बीमार है तथा सोचने समझने में किसी प्रकार की शक्ति नही है उक्त फूफीया उर्फ फूलीया अपीलाण्ट का पिता है जिसे पैत्रिक सम्पत्ति होने से स्व० गोपालदास जो फूफीया उर्फ फूलीया के पिता थे कि मृत्यु के बाद बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज हो गया ।
4. यह कि उक्त फूफीया उर्फ फूलीया के अपीलाण्टस दो पुत्रियां है और अन्य कोई संतान नही है। उक्त सम्पत्ति में बाई बर्थ अपीलाण्टस को खातेदारी अधिकार प्राप्त है ।
5. यह कि फूफीया उर्फ फूलीया की मानसिक स्थिति खराब होने व सोचने समझने की स्थिति न होने की वजह से हक त्याग दिनांक 5–6–2014 को रेस्पोडेण्ट 1 लगायत 4 ने अपने नाम करवा लिया तथा उक्त हक त्याग सब रजिस्ट्रार पावटा के यहां पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 7 पृष्ठ संख्या 12, कम संख्या 2014001306 पंजीबद्ध कर दिया ।
6. यह कि उक्त पैत्रिक सम्पत्ति जिसमें अपीलाण्ट का हिस्सा 2/3 जन्म से ही है। उक्त फूलीया द्वारा हक त्याग करने का अधिकार नही था, फूलीया सोचने समझने की स्थिति में नही था जिससे करवाये गये इस फर्जी, कूटरचित व नुमायशी हक त्याग से रेस्पोडेण्ट 1 लगायत 4 को कोई अधिकार प्राप्त नही होते है ।
7. यह कि उक्त कूटरचित फर्जी व नुमायशी हक त्याग के आधार पर हल्का पटवारी अन्य राजस्व अधिकारियों से मिलकर बिना पक्षकारों की सुनवाई के इन्तकाल संख्या 1820 दिनांक 10–2–2016 भरकर दिनांक 5–1–2016 को ग्राम पंचायत भूरी भडाज में वास्ते तस्दीक करने प्रस्तुत किया गया जिस पर सरपंच द्वारा यह नोट लगाया गया कि मूल दस्तावेज के साथ दोनो पक्षों को आगामी मिटिंग में प्रस्तुत करें व पूरी सन्तुष्टी के बाद इन्तकाल पर कार्यवाही की जायेगी ।
8. यह कि हल्का पटवारी ने पंचायत के उक्त आदेश की कोई पालना नही की, ना तो वह नामान्तकरण को पंचायत में पेश किया व ना ही पक्षकारों को पेश किया। बावजूद उसके उक्त नामान्तकरण को दिनांक 10–2–2016 को नायब तहसीलदार पावटा से बिना पक्षकारों की सुनवाई के इन्तकाल तस्दीक करवा लिया जो कानूनी प्रावधानों के सर्वथा विपरित है ।
9. यह कि इस इन्तकाल को नायब तहसीलदार पावटा ने अच्छी तरह नही देखा, ना ही अपना माईन्ड अप्लाई किया जबकि इन्तकाल में केवल खसरा नम्बर 1436 ही लिखा हुआ है अन्य खसरा नम्बरान का नामान्तकरण में कोई अंकन नहीं है। इस प्रकार से यह नामान्तरण पूर्णतया अवैध है।
10. यह कि न्यायहित में अपीलाण्ट व फूफीया उर्फ फूलीया को सुना जाना जरूरी था ।
11. यह कि उक्त इन्तकाल की जानकारी अपीलाण्ट को दिनांक 3–3–2016 को हुई जिसकी नकल उसी रोज प्राप्त की अतः अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है ।
12. यह कि अन्य वजूहात वरवक्त बहस अर्ज किये जायेगें ।
13. यह कि अपील उचित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है ।
14. यह कि अपील में माननीय न्यायालय को श्रवणाधिकार हांसिल है ।

    अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि नामान्तकरण संख्या 1820 दिनांक 10–2–2016 को निरस्त फरमाये जाने की कृपा करें ।
15. अपील अपीलान्ट जरिये वकील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट की तल्बी हेतु नोटिस जारी किया गया बाद तामिल रेस्पोडेन्ट संख्या एक लगायत चार की ओर से

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

अधिवक्ता सुधीर शर्मा ने वकालतनामा पेश किया। रेस्पोडेन्ट संख्या पॉच की ओर से कोई उपस्थित नही आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या एक की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश हुआ कि सिविल न्यायालय के समक्ष हकत्याग निरस्तीकरण हेतु वाद विचाराधीन है इसलिए सिविल न्यायालय में वाद का निस्तारण होने तक नामान्तकरण अपील की कार्यवाही को स्थिगित रखा जायें। प्रार्थना पत्र का जवाब लिया जाकर एवं वकील उभयपक्ष की बहस सुनकर प्रार्थना पत्र को खारीज किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र की निगरानी श्रीमान निबन्धक महोदय राजस्व मंडल को की गई जिसमें राजस्व मंडल द्वारा निगरानी को खारीज कर दिया गया। राजस्व मंडल से पत्रावली प्राप्त होने पर वास्ते जवाब/बहस हेतु नियत कर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

16. वकील अपीलान्ट ने अपने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अपील में वर्णित विवादीत आराजी ग्राम भूरी–भड़ाज में स्थित है। उक्त आराजी के 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार फूफीया उर्फ फुलीया है जो अपीलान्ट का पिता है। उक्त आराजी पैत्रिक सम्पत्ति होने के कारण स्व0 गोपालदास जो फूफीया उर्फ फूलीया के पिता थे कि मृत्यु के पश्चात अपीलान्ट के पिता के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज हुई है। फूफीया उर्फ फूलीया के दो पुत्रियॉ है जो की अपीलान्टस है जिनको विवादीत आराजी के बाई वर्थ से ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं फूफीया उर्फ फूलीया की मानसिक स्थिति खराब होने व सोचने समझने की स्थिति में न होने के कारण रेस्पोडेन्ट ने आराजी का हक त्याग करवाकर अपने नाम करवा लिया जबकि उक्त पैत्रिक सम्पत्ति में अपीलान्ट का हिस्सा 2/3 जन्म से ही है। अपीलान्ट के पिता फूलीया को अपनी सम्पूर्ण आराजी का हक त्याग करने का कोई अधिकार नही है। रेस्पोडेन्ट द्वारा राजस्व कर्मचारियों से मिलकर इन्तकाल संख्या 1820 दिनांक 10.02.2016 भरकर दिनांक 05.01.2016 को ग्राम पंचायत भूरी भडाज में वास्ते तस्दीक करने प्रस्तुत किया गया जिस पर सरपंच द्वारा यह नोट लगाया गया कि मूल दस्तावेज के साथ दोनो पक्षों को आगामी मिटिंग में प्रस्तुत करे व पूरी सन्तुष्टी के बाद इन्तकाल पर कार्यवाही की जायेगी। जिस पर पटवारी हल्का द्वारा कोई कार्यवाही नही की गई ना ही मूल दस्तावेजो के साथ पंचायत में नामान्तकरण पेश किया गया जिसके बाद उक्त नामान्तकरण को दिनांक 10.02.2016 को नायब तहसीलदार पावटा द्वारा पक्षकारों की सुनवाई बगैर इन्तकाल तस्दीक किया गया जो कि विधि विरूद्व एवं न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्त के विपरीत है इसलिए नायब तहसीलदार पावटा द्वारा तस्दीक नामान्तकरण को खारीज फरमावें। वकील रेस्पोडेन्ट ने निवेदन किया कि तहसीलदार द्वारा नामान्तकरण, हकत्याग अनुसार खोला गया है। फूफिया उर्फ फूलिया पुत्र श्री गोपाल ने हकत्याग पत्र द्वारा उक्त आराजी को रेपस्पोडेन्ट के नाम की है जिसके अनुसार नायब तहसीलदार द्वारा नामान्तकरण खोला गया। हकत्याग पत्र को सही या गलत ठहराने का अधिकारी सिविल न्यायालय को प्राप्त है इसलिए अपीलान्ट की अपील बेबुनियाद एवं गलत तथ्यों पर आधारित होने के कारण काबिले खारीज है।

17. वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गई अपील में अपीलान्ट की पैत्रिक सम्पत्ति होने एवं तहसीलदार द्वारा सुनवाई का अवसर नही दिये जाने के कारण

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

नायब तहसीलदार द्वारा तस्दीक नामान्तकरण संख्या 1820 दिनांक 10.02.2016 को निरस्त करने का अनुतोष चाहा गया है। प्रकरण में तहसीलदार द्वारा नामान्तकरण की कार्यवाही हकत्याग पत्र द्वारा की गई है जो कि एक पंजीकृत दस्तावेज है जिसको सही या गलत ठहराने का अधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है। हकत्याग पत्र अनुसार फुफिया उर्फ फूलिया द्वारा रेस्पोडेन्ट जगदीश, बाबूलाल, गिरधारी, पूरण, पुत्रान श्री प्रभू जाति स्वामी निवासी भूरी भडाज तहसील कोटपूतली द्वारा आराजी खसरा नम्बर 1436/0.31, 1438/0.83, 1442/0.96, 1446/0.85, 1448/1.10, 1449/1.18 हैक्टयर वाके ग्राम भूरि भडाज तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान में स्थित भूमि को मुताबिक जमाबन्दी हिस्सा 1/2 का हकत्याग किया गया है। नायब तहसीलदार पावटा द्वारा रेस्पोडेन्ट के नाम खोला गया यह नामान्तकरण इसी पंजीकृत हकत्याग पत्र अनुसार खोला गया है इसलिए इस प्रकिया में हम किसी प्रकार की त्रुटि होना नही पाते है। अतः की गई नामान्तकरण की कार्यवाही को सही मानते हुये अपीलान्ट की अपील को खारीज किया जाना उचित समझते है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारीज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 7.1.26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)